/

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश,

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग लखनऊ-226005

चयनित जेल वार्डरों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यवाही

दिनांक :20.07.2021

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश में जेल वार्डर के रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर पुरूष के 3012 एवं जेल वार्डर महिला के 626 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर पुरूष जेल वार्डर एवं महिला जेल वार्डर संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदेश की कारागारों/संस्थाओं पर योगदान कराये जाने हेतु उनकी तैनाती/नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से सम्बन्धित की जानी वाली चरणवद्ध तरीके से कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैः-

1. उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली-2016 यथासंशोधित के नियम-4-(2)(तीन) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार "विभागाध्यक्ष समस्त स्वीकृत आवंटन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या का पुनः अवधारण कर सकता है एवं (चार) के अनुसार विभागाध्यक्ष इस नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य के किसी कारागार या संस्थाओं में परिनियोजित कर सकता है।"

2. उक्त व्यवस्था के अनुसार कारागारवार आवंटन रिक्तियों के सापेक्ष एवं प्रदेश की कतिपय संवदेनशील कारागारें जहां, स्वीकृत वार्डर संवर्ग के पद कम है और वहां सुरक्षा व्यवस्था व कारागार की प्रशासनिक/भौगोलिक/बनावट की आवश्यकता के दृष्टिगत वार्डरों की अतिरिक्त तैनाती की जानी है, ऐसी कारागारों पर प्रदेश की उन कारागारों जहां जेल वार्डर संवर्ग के पर्याप्त मात्रा में पद सृजित है, के पदों के सापेक्ष अस्थायी रूप से परिनियोजित किया जायेगा।

3. जेल वार्डर संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली-2016 यथासंशोधित के अनुसार एवं प्रदेश की कारागारों पर इनकी तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगीः-

(1) मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पर गठित समिति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर पुरूष के 3012 एवं जेल

वार्डर महिला के 626 अभ्यर्थियों के जिलेवार/कारागारवार तैनाती हेतु अभ्यर्थियों के गृह जनपद एवं उनके सीमावर्ती जनपदों को छोड़ते हुए तैनाती का प्रस्ताव कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था व कारागार की प्रशासनिक/भौगोलिक/बनावट के दृष्टिगत मण्डलवार सूची तैयार की जायेगी।

(2) कारागार मुख्यालय की उक्त गठित समिति द्वारा तैयार की गयी सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित कर उक्त सूची मण्डल कारागारों पर उनके नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(3) कारागार मुख्यालय की गठित समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की जिले/कारागारवार आवंटित/तैनाती की सूची मण्डल कारागारों को पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

(4) उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-15 (5) के बिन्दु (ग) में निहित प्राविधानों के अनुसार "विभागाध्यक्ष, अनुमोदनोपरान्त अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के अध्यधीन नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।"

(5) सम्बन्धित नियुक्ताधिकारी का यह दायित्व होगा, कि कारागार मुख्यालय द्वारा जिन अभ्यर्थियों की सूची उनको उपलब्ध करायी गई है, उन अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित कारागारों को प्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया जायेगा, कि उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-16 (ख) के अनुसार यथा "नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किये जाने के लिए तीन चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल, कारागार विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोड कृत "जेल वार्डर भर्ती चिकित्सा प्रपत्र" के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।" इन अभ्यर्थियों का मुख्य चिकित्साधिकारी से मेडिकल कराकर यथावश्यक मेडिकल रिपोर्ट संकलित करेंगें एवं बिन्दु संख्या-1 में अंकित समस्त प्रपत्रों का सत्यापन समयबद्ध रूप से करायेंगें।

(6) चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में लगने वाले अवांछित विलम्ब को कम किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29.04.2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सत्यापन प्रपत्र (अनुलगनक-1) (अनुलगनक-2) को पूर्ण रूप से भरवाया जायेगा। उक्त की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित नियुक्ताधिकारी मण्डल कारागार अधीक्षक की व्यक्तिगत रूप से होगी।

-3/-

(7) मण्डल में तैनात किये गये चयनित जेल वार्डर का यह दायित्व होगा, कि वह अपने मूल शैक्षिक/जाति/चरित्र प्रमाण-पत्र व अन्य प्रशांसगिक अभिलेख पत्र/प्रमाण पत्र लेकर नियुक्ताधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।

(8) मण्डल के नियुक्ताधिकारी का यह दायित्व होगा, कि वह नियुक्त पत्र जारी करते समय समस्त अभिलेखों का सत्यापन करेंगे। यदि सत्यापन के समय प्रस्तुत अभिलेखों/चिकित्सीय प्रमाण पत्र/शैक्षिक अभिलेखों की प्रमाणिकता पुष्टित न पाये जाने एवं पुलिस सत्यापन/चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूलता पाये जाने पर चयनित जेल वार्डर/वार्डरों का चयन निरस्त कर दिया जाय।

(9) समस्त चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल कारागार स्तर पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने एवं कार्यभार के ग्रहण करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली-2016 यथासंशोधित के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाना है। डा0 सम्पूर्णानन्द प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अन्य चयनित प्रशिक्षण संस्थानों में सीमित संख्या में जेल वार्डर को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। साथ ही वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण के दृष्टिगत समस्त चयनित अभ्यर्थियों जिनकी कुल संख्या-3638 है को एक साथ प्रशिक्षण कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में चरणवद्ध तरीके से नव नियुक्त जेल वार्डरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर संचालित कराया जायेगा, इसके सम्बन्ध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

(10) उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विचलन/परिवर्तन का पूर्ण अधिकार पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश में निहित है।

उपरोक्त संदर्भ में किसी भी जानकारी एवं सहायता के लिए निम्नांकित अधिकारियों के नाम एवं उनके मोबाईल नम्बर निम्नवत् अंकित हैः-

क्र0	अधिकारी का नाम/पदनाम	समिति में पद	मोबाईल नम्बर
1.	श्री संजीव त्रिपाठी, उप महानिरीक्षक कारागार	अध्यक्ष	7007097423
2.	श्री शैलेन्द्र मैत्रेय, उप महानिरीक्षक कारागार(मु0)	सदस्य	9458827400
3.	श्री आर0के0 मिश्रा, वरिष्ठ अधीक्षक	सदस्य	9149223232
4.	श्री अम्बरीश गौड़, वरिष्ठ अधीक्षक (मु0)	सदस्य सचिव	9415047604

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश,

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग लखनऊ-226005

चयनित जेल वार्डरों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

दिनांक :22.07.2021

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश में जेल वार्डर के रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर पुरूष के 3012 एवं जेल वार्डर महिला के 626 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर पुरूष जेल वार्डर एवं महिला जेल वार्डर संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदेश की कारागारों/संस्थाओं पर योगदान कराये जाने हेतु उनकी तैनाती/नियुक्ति पत्र निर्गत किये के सम्बन्ध में :-

1. कारागार मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की मण्डलवार/कारागारवार आवंटन सूची जारी की जायेगी। जो वेवसाईड (www.upprison.gov.in) पर प्रकाशित करायी जायेगी। (मण्डलवार/कारागारवार एवं उनसे सम्बन्धित मण्डल की सूची संलग्न)

2. सम्बन्धित कारागार हेतु चयनित अभ्यर्थियों को कारागार से सम्बन्धित मण्डल की कारागार में नियुक्ताधिकारी के समक्ष समस्त मूल अभिलेख एवं प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/पुलिस भर्ती बोर्ड में आवेदन करते समय जो भी अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये हो/भर्ती बोर्ड का प्रवेश पत्र) लेकर प्रस्तुत होगा।

3. मण्डल के नियुक्ताधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों का नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण कराने एवं शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29.04.2021 के साथ संलग्न सत्यापन प्रपत्र (अनुलगनक-1) (अनुलगनक-2) घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से अभ्यर्थियों द्वारा भरवाये जाने के उपरान्त नियुक्ताधिकारी द्वारा नियुक्त पत्र जारी किया जायेगा।

4. नियुक्त पत्र निर्गत किये जाने के समय अभ्यर्थियों को एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह अंकित होगा, कि यदि अभ्यर्थियों के अभिलेखों/चिकित्सीय प्रमाण पत्र/शैक्षिक अभिलेखों/जाति प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन/चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूलता पायी पाये जाने पर उनका चयन तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

5. अभ्यर्थियों को मण्डल स्तर से निर्गत किये गये नियुक्ति पत्र के अनुसार तैनाती की कारागार पर अंकित अभिलेखों के साथ अपना योगदान निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा।

6. नव नियुक्त जेल वार्डरों के पुलिस सत्यापन/अन्य अभिलेखीय सत्यापन की कार्यवाही निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्ताधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

7. तैनात जेल वार्डरोंच/अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगें।

8. मण्डल कारागारों की सूची तथा अनुलगनक-1 एवं अनुलगनक-2 की प्रति संलग्न।

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित समय-सारिणी।

क्र.	कार्यवाही का विवरण	निर्धारित तिथि
1	चयनित अभ्यर्थियों का कारागार मुख्यालय स्तर से कारागारवार/ मण्डलवार आंवटन पूर्ण किए जाने से सम्बन्धित कार्यवाही	06.08.2021
2	कारागार मुख्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित कारागारों के सापेक्ष मण्डल के नियुक्ताधिकारी के समक्ष उपस्थित होने से सम्बन्धित कार्यवाही।	07.08.2021 से 14.08.2021
3	चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, घोषणा-पत्र (अनुलगनक-1 व 2) एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना एवं नियुक्ति पत्र निर्गत कर कार्यभार ग्रहण कराए जाने सम्बन्धी कार्यवाही।	06.08.2021 से 24.08.2021
4	नवनियुक्त जेल वार्डरों को प्रशिक्षण पर चरणबद्ध तरीके भेजने की कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना।	03.09.2021

सत्यापन प्रपत्र (अनुलगनक-1)

1. पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकायें (5 सेमी गुणा 7 सेमी)

2.	"चेतावनी" सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा । इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित, तड़ीपार कृत अर्थदण्ड से दण्डित दोषकृत, विवर्जित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा ।
3.	यदि, किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त किये जाने योग्य होंगी ।

1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों)	उपनाम	नाम
2. (क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं कस्बा) :		

3. (क) घर का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ गांव, थाना एवं जनपद, या मकान संख्या, वीथी/ गली / सड़क एवं कस्बे तथा जनपद मुख्यालय का नाम: (ख) यदि मूल रूप से पाकिस्तान / बांग्लादेश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में पता और भारतीय संघ में प्रवास की तिथि :		

4. विगत पांच वर्षों की अवधि में उन स्थानों का विवरण दिया जाय (जहां आप) एक वर्ष से अधिक से अवधि तक रहे हों (निवास की अवधि के साथ) विदेश निवास (पाकिस्तान सहित) की स्थिति में उन समस्त स्थानों का विवरण, जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों ।

दिनांक	निवास का पता (उदाहरणार्थ मकान संख्या, गली/ वीथी/ सड़क ग्राम थाना नगर जनपद)	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित स्थान का वर्णन

5.	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय का पता	वर्तमान डाक का पता (यदि मृत हो तो अन्तिम पता	घर का स्थायी पता
क) पिता ख) माता ग) पत्नी/पति घ) भ्रातागण/ ड़) भगिनी/						

भगिनीगण						

5. (क)	पुत्र एवं/या पुत्री के संबंध में सूचना दी जाये यदि वे किसी विदेशी राष्ट्र में निवास या अध्ययन कर रहे हों

नाम	जन्म से या अधिवास से राष्ट्रीयता	जन्मस्थल देश	जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का नाम, पूर्ण पता सहित	दिनांक, जिसमे पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित देश में निवास/अध्ययन कर रहे हैं

6.		राष्ट्रीयता :
7.	(क)	जन्म तिथि
	(ख)	वर्तमान आयु:
	(ग)	10वीं कक्षा में आयु क्या थी:
8.	(क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहां वह अवस्थित है :
	(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित हैं :
	(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता मूल रूप से संबंधित थे
9.	(क)	आपका धर्म
	(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं : (हां या नही में उत्तर दीजिए।)

10.	शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन किया को वर्षवार एवं स्थानवार दर्शाते हुए :

विद्यालयों/ महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गयी परीक्षा

11.	(क)	क्या आपने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकार या मानद सरकारी निकाय या किसी स्वायत्त निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या संस्थान में किसी समय कोई पदधारित किया है या करते हैं? यदि हां तो नियुक्ति की तिथि का पूर्ण विवरण दें:

अवधि	पदनाम, परिलब्धियां एवं नियोजन की प्रकृति	नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने कारण

तिथि से	तिथि से

(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/ स्वायत्तशासी निकाय/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी, या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकरण में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था ?

12 (एक)	(क)	क्या आप कभी गिरफ्तार हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ख)	क्या आप कभी अभियोजित हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ग)	क्या आप कभी नजरबंद हुये हैं	हाँ/नहीं
	(घ)	क्या आप कभी तड़ीपार हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ड)	क्या आपको कभी न्यायालय ने अर्थदण्ड दिया है	हाँ/नहीं
	(च)	क्या आपको किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं	हाँ/नहीं
	(छ)	क्या आपको कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनी किसी परीक्षा/चयन के लिए विवर्जित / अयोग्य घोषित किया गया है	हाँ/नहीं
	(ज)	सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरूद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नही है	हाँ/नहीं
	(झ)	इस सत्यापन प्रपत्र को भरने के समय आपके विरूद्ध किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण/ संस्था में कोई वाद लंबित तो नही है	हाँ/नहीं
	(त्र)	क्या सरकार या अन्यथा के अधीन किसी प्रशिक्षण/ संस्थान से आपकी कार्यमुक्ति/निष्कासन वापसी तो नही हुयी है	हाँ/नहीं

(दो)		इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर "हां" है तो <u>वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ अर्थदण्ड/ दोषसिद्ध/ दण्डादेश/ दण्ड आदि और/ या न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें:</u>
टिप्पणी	(एक)	कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित "चेतावनी" भी देखें ।
	(दो)	यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हां" या "नही" के रूप दिये जाने सकते हैं ।
13.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या	1)

<table>
<tr><td></td><td>अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हों।</td><td>2)</td></tr>
<tr><td colspan="3">मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वोलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मुझे अनर्ह करने वाली किन्हीं परिस्थितियों की मुझे जानकारी नही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:
दिनांक:
स्थान:</td></tr>
<tr><td colspan="3">अभिज्ञान प्रमाण पत्र
(प्रमाणपत्र निम्नांकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)</td></tr>
<tr><td>(एक)</td><td colspan="2">केन्द्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी</td></tr>
<tr><td>(दो)</td><td colspan="2">निर्वाचन क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी या उसके परिजन/ अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हो के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य</td></tr>
<tr><td>(तीन)</td><td colspan="2">उप जिला मजिस्ट्रेट/ अधिकारी</td></tr>
<tr><td>(चार)</td><td colspan="2">मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब/ उप तहसीलदार</td></tr>
<tr><td>(पांच)</td><td colspan="2">अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य</td></tr>
<tr><td>(छह)</td><td colspan="2">खण्ड विकास अधिकारी</td></tr>
<tr><td>(सात)</td><td colspan="2">डाकपाल</td></tr>
<tr><td>(आठ)</td><td colspan="2">पंचायत निरीक्षक</td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी................................पुत्र/ पुत्री श्री...को मैं विगत............................मास से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है।
दिनांक :   हस्ताक्षर :
स्थान :   पदनाम या प्रास्थिति
एवं पता :</td></tr>
</table>

<u>**कार्यालय द्वारा भरा जायेगा ।**</u>

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता:

दो) पद जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी का चयन किया गया है:

<u>सत्यापन प्रपत्र (अनुलग्नक-2)</u>

1. पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकायें (5 सेमी गुणा 7 सेमी)

	2 3	<u>**"चेतावनी"**</u> **सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा। इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित** तड़ीपार कृत अर्थदण्ड से दण्डित दोषकृत, विवर्जित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा । यदि, किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त किये जाने योग्य होंगी।	
1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों में		उपनाम	नाम
2.(क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या			

2.	पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण-ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं नगर):	
3.	घर का पूर्ण पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं नगर तथा जनपद मुख्यालय का नाम:	
4.	आधार कार्ड संख्या :	
5.	पैन संख्या :	
6.	राष्ट्रीयता :	
7.(क)	जन्म तिथि :	
(ख)	वर्तमान आयु :	
(ग)	10 वीं कक्षा में आयु क्या थी :	
8.(क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहाँ वह अवस्थित है :	
(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित हैं :	
(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता मूल रूप से संबंधित थे :	
9.(क)	आपका धर्म :	
(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं : (हां या नहीं में उत्तर दीजिए)	

10.	उन स्थानों का विवरण (निवास की अवधि के साथ) जहाँ आपने विगत पाँच वर्षों की समयावधि में एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है । विदेश निवास के प्रकरण में (पाकिस्तान समेत), उन समस्त स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए, जहाँ आपने 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है ।

दिनांक से	दिनांक तक	निवास का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, गली/ वीथी/ सड़क एवं नगर	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित स्थान का नाम

11.	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से एवं अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय के पते का विवरण	वर्तमान डाक का पता (यदि मृत्यु हो चुकी है तो अंतिम निवास का पता)	घर का स्थायी पता
(क) पिता (ख) माता (ग) पत्नी						

12.	पुत्र (पुत्रगण)/पुत्री (पुत्रियां) यदि किसी विदेशी राष्ट्र में अध्ययन/ निवास कर रहे हैं तो उनके संबंध में सूचना दी जाये :			
नाम	जन्म या अधिवास से राष्ट्रीयता	जन्म स्थान	राष्ट्र जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का पूर्ण पते के साथ विवरण	वह तिथि जिससे पूर्व स्तम्भ में वर्णित राष्ट्र में निवास/अध्ययन कर रहे हैं :

13.	शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु के पश्चात उन शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दर्शाते हुए जिनमें शिक्षा प्राप्त की हो :		
विद्यालय /महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गई परीक्षा

14.(क)	क्या आपने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकार या मानद सरकारी निकाय या किसी स्वायत्तशासी निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या संस्थान में किसी समय कोई पदधारित किया है या करते हैं? यदि हां तो नियुक्ति की तिथि के साथ पूर्ण विवरण दें :

अवधि	पदनाम, परिलब्धियां एवं नियोजन की प्रकृति	नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

तिथि से	तिथि से तिथि तक

14.(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी, या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकरण में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था ?

15.(एक)		क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आपको कभी अभियोजित किया गया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आपको कभी नजरबंद किया गया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आप पर किसी न्यायालय ने अर्थदण्ड लगाया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आप किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं ?	हाँ/नहीं
		सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरूद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नही है	हाँ/नहीं
(दो)		यह सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर "हां" है तो वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ अर्थदण्ड/ दोषसिद्धि/ दण्डादेश/ दण्ड आदि और/ या न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें:	

टिप्पणी : कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित "चेतावनी" को भी देखें
यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हां" या "नहीं" के रूप में दिये जा सकते हैं ।

16.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हों।	1) 2)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वोलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मूझे अनअर्ह करने वाली किन्हीं परिस्थितियों की मुझे जानकारी नही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:
दिनांक:
स्थान:

अभिज्ञान प्रमाण पत्र

(प्रमाणपत्र निम्नांकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)

(एक)	केन्द्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी
(दो)	निर्वाचन क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी या उसके परिजन/ अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हो के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य
(तीन)	उप जिला मजिस्ट्रेट/ अधिकारी
(चार)	मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब/ उप तहसीलदार
(पांच)	अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य
(छह)	खण्ड विकास अधिकारी
(सात)	डाकपाल
(आठ)	पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी...............................पुत्र/ पुत्री श्री...को मैं विगत............................मास से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है। दिनांक :   हस्ताक्षर : स्थान :   पदनाम या प्रास्थिति एवं पता :

<u>कार्यालय द्वारा भरा जायेगा</u>

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता :

दो) पद, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी पर विचार किया जा रहा है :

उपरोक्तानुसार विभिन्न परीक्षाओ/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन के संबंध में भारत सरकार में की गयी व्यवस्था संबंधी आदेशों को सम्मिलित करते हुये राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व किये जाने वाले चरित्र एवं सत्यापन की नीति में प्रस्तावित सुधारों के साथ-साथ नवीन सत्यापन प्रपत्र भी प्रस्तुत है ।

मण्डलवार कारागारों की सूची

आगरा मण्डल	
1	केन्द्रीय कारागार, आगरा (नियुक्ताधिकारी)
2	जिला कारागार, आगरा
3	जिला कारागार, फिरोजाबाद
4	जिला कारागार, मैनपुरी
5	जिला कारागार, एटा
6	जिला कारागार, मथुरा
7	जिला कारागार, अलीगढ़
8	जिला कारागार, कासगंज
फतेहगढ़ मण्डल	
9	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ (नियुक्ताधिकारी)
10	जिला कारागार, फतेहगढ़
11	जिला कारागार, कन्नौज
12	जिला कारागार, इटावा
13	जिला कारागार, कानपुर नगर
14	जिला कारागार, कानपुर देहात
झांसी मण्डल	
15	जिला कारागार, झांसी (नियुक्ताधिकारी)
16	जिला कारागार, उरई
17	जिला कारागार, ललितपुर
प्रयागराज मण्डल	
18	केन्द्रीय कारागार, नैनी (नियुक्ताधिकारी)
19	जिला कारागार, कौशाम्बी
20	जिला कारागार, फतेहपुर
21	जिला कारागार, प्रतापगढ़
बांदा मण्डल	
22	जिला कारागार, बांदा (नियुक्ताधिकारी)
23	जिला कारागार, हमीरपुर
24	जिला कारागार, चित्रकूट
25	उप कारागार, महोबा
वाराणसी मण्डल	
26	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी (नियुक्ताधिकारी)
27	जिला कारागार, वाराणसी
28	जिला कारागार, गाजीपुर
29	जिला कारागार, जौनपुर
30	जिला कारागार, मिर्जापुर
31	जिला कारागार, ज्ञानपुर
32	जिला कारागार, सोनभद्र
बरेली मण्डल	
33	केन्द्रीय कारागार, बरेली (नियुक्ताधिकारी)
34	जिला कारागार, बरेली
35	किशोर सदन, बरेली
36	जिला कारागार, पीलीभीत
37	जिला कारागार, बदायूं
38	जिला कारागार, शाहजहांपुर
मुरादाबाद मण्डल	
39	जिला कारागार मुरादाबाद (नियुक्ताधिकारी)
40	जिला कारागार, रामपुर
41	जिला कारागार, बिजनौर
मेरठ मण्डल	
42	जिला कारागार, मेरठ (नियुक्ताधिकारी)
43	जिला कारागार, बागपत
44	जिला कारागार, गाजियाबाद
45	जिला कारागार, बुलन्दशहर
46	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर
सहारनपुर मण्डल	
47	जिला कारागार, सहारनपुर (नियुक्ताधिकारी)
48	जिला कारागार, मुजफ्फरनगर
49	उप कारागार, देवबन्द
लखनऊ मण्डल	
50	आदर्श कारागार, लखनऊ (नियुक्ताधिकारी)
51	नारी बंदी निकेतन, लखनऊ
52	जिला कारागार, लखनऊ
53	जिला कारागार, उन्नाव
54	जिला कारागार, हरदोई
55	जिला कारागार, सीतापुर
56	जिला कारागार, खीरी
57	जिला कारागार, रायबरेली
गोरखपुर मण्डल	
58	जिला कारागार, गोरखपुर (नियुक्ताधिकारी)
59	जिला कारागार, महराजगंज
60	जिला कारागार, देवरिया
आजमगढ़ मण्डल	
61	जिला कारागार, आजमगढ़ (नियुक्ताधिकारी)
62	जिला कारागार, बलिया
63	जिला कारागार, मऊ
बस्ती मण्डल	
64	जिला कारागार, बस्ती (नियुक्ताधिकारी)
65	जिला कारागार, सिद्धार्थनगर
फैजाबाद मण्डल	
66	जिला कारागार, फैजाबाद (नियुक्ताधिकारी)
67	जिला कारागार, बाराबंकी
68	जिला कारागार, सुल्तानपुर
69	जिला कारागार, अम्बेडकर नगर
गोण्डा मण्डल	
70	जिला कारागार, गोण्डा (नियुक्ताधिकारी)
71	जिला कारागार, बलरामपुर
72	जिला कारागार, बहराईच

शपथ पत्र

(10रू0 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरीकृत)

फोटो

मैं...पुत्र/पुत्री...
.............निवासी...आयु............निम्नवत प्रतिज्ञा/घोषणा करता/करती हूँ।

1. यह कि मैं भारतीय नागरिक हैं।
2. यहकि शपथी का चयन कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0 प्र0 में जेल वार्डर के रिक्त पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा किया गया है।
3. यहकि जेल वार्डर के पद पर चयन हेतु शपथी का रजिस्ट्रेशन नं.................................एवं अनुक्रमांक ....है।
4. यह कि शपथी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक वाद प्रचलित/पंजीकृत/विचाराधीन नही है।
5. यहकि शपथी को संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत नही किया गया है।

शपथी

सत्यापन

आज दिनांक ....की स्थान.................................पर मैं उपरोक्त वर्णित धारा–1 से धारा–5 में अंकित कथन सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ–पत्र में प्रकट तथ्य एवं तथ्यों के साक्ष्य में प्रस्तुत शैक्षिक/जाति प्रमाण पत्र व अन्य अर्हता सम्बन्धी अभिलेख मेरे संज्ञान में सत्य एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। यदि किसी प्रकार के तथ्य छिपाने का तथ्य प्रकट होता है तो मैं पूर्णरूप से उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

शपथी

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश,

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग लखनऊ-226005

चयनित जेल वार्डरों नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

दिनांक :30.07.2021

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश में जेल वार्डर के रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर पुरूष के 3012 एवं जेल वार्डर महिला के 626 अभ्यर्थियों का चयन कर उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर पुरूष जेल वार्डर एवं महिला जेल वार्डर संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदेश की कारागारों/संस्थाओं पर योगदान कराये जाने हेतु उनके कारागारवार/मण्डलवार आवंटन की प्रक्रिया कारागार मुख्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है, के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराना हैः-

1. कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा बार-बार अनुलगनक-1 व 2 तथा शपथ-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि चयनित अभ्यर्थियों को उनके कारागार के आवंटन के पश्चात् उस मण्डल कारागार पर वरिष्ठ अधीक्षक के समक्ष अनुलगनक-1 व 2 एवं शपथ-पत्र पूर्ण रूप से भरकर एवं साथ में अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर उपस्थित होगें।

2. संज्ञान में आया है, कि कतिपय लोगों द्वारा पुरूष जेल वार्डर एवं महिला जेल वार्डर संवर्ग के अभ्यर्थियों को उनकी तैनाती प्रदेश की कारागारों पर कराये जाने हेतु उनसे दूरभाष/मोबाईल पर सम्पर्क कर वार्ता इत्यादि की जा रही है। अवगत कराना है, कि कारागार विभाग की वेबसाईट पर सहायता हेतु प्रकाशित मोबाईल नम्बरों के अतिरिक्त किसी अन्य नम्बर से किसी भी अभ्यर्थियों को यदि फोन किया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं है और न ही अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो सूचनायें आदि प्रकाशित हो रही है, वो भी विभाग द्वारा जारी की जा रही है और उनकी वैधानिकता की जिम्मेदारी भी विभाग की नहीं है।

3. अभ्यर्थियों के कारागारवार/मण्डलवार आवंटन की सूची विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाते समय उनके मण्डल कारागार अधीक्षक (नियुक्ताधिकारी) का नाम/मोबाईल नम्बर आदि की जानकारी भी प्रदान की जायेगी, ताकि अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो।

.......2/-

4. तैनाती/नियुक्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय सारिणी वेवसाईड में अपलोड है, उसी के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्भावित है। इस सम्बन्ध में जो भी सूचना है वह समय-समय पर वेवसाईड में अपलोड की जायेगी, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्राचार सीधे अभ्यर्थियों से नहीं किया जायेगा।

5. नियुक्ति अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं अभिलेखों के परीक्षण के सम्बन्ध में जो कार्यस्थल निश्चित किया जायेगा, उसे वेवसाईड पर यथासमय लोड किया जायेगा।